

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- विषय: गृह मंत्रालय के पुस्तकालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (LIO), लेवल-11 के पद से संबंधित भर्ती नियमों के संशोधन के प्रारूप को हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर 30 दिनों के लिए अपलोड किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने तथा गृह मंत्रालय के पुस्तकालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (LIO), लेवल-11 के पद से संबंधित भर्ती नियमों के संशोधन के प्रारूप/मसौदे (प्रतिलिपि संलग्न) को हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर 30 दिनों की अवधि के लिए प्रकाशित किए जाने के संबंध में निर्देश हुआ है।

2. इस संबंध में, हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियां/सुझाव अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :-

अवर सचिव (प्रशासन), कक्ष संख्या 35076, 5वीं मंजिल, गृह मंत्रालय,
कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली-110001।

संलग्नक :- उपरोक्त अनुसार।



(विश्वजीत कुमार गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 2401 0161

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी (आई.टी.), गृह मंत्रालय, कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली-110001 इस अनुरोध के साथ की उक्त कार्यालय ज्ञापन एवं संलग्न प्रारूप/मसौदा भर्ती नियमों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 30 दिनों की अवधि के लिए हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अपलोड करने की आवश्यक कार्रवाई करें।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the September, 2026

G.S.R.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Library & Information Officer) Recruitment Rules, 1997, the Ministry of Home Affairs (Library & Information Officer) Recruitment Rules, 2012 & the Ministry of Home Affairs (Library and Information Officer), Recruitment (Amendments) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library and Information Officer Recruitment (Amendments) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Department of Personnel and Training and Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Officer.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67,700 to 2,08,700 per).	Not Applicable.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable.	Two years for promotees.	By composite method Promotion /Deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract):- Officers under Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous or Statutory organizations including Universities : (a) (i) Holding analogous post(s) on regular basis; or (ii) With eight years' regular service in Level-8 in the Pay Matrix or equivalent; or (iii) With nine years regular service in Level-7 in the Pay Matrix or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience- Essential: (i) Master's Degree or equivalent Diploma in Library science or Library and Information Science from a recognized University/Institute. (ii) Five years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organization or PSU or Universities or Recognised Research or Educational Institution. Desirable: (i) One year experience of computerizing library activities in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organization or University or Recognized Research or Educational Institution. (ii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute. Note 1 :- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :- The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director/ Deputy Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs (Chairman). 2. Director or Deputy Secretary (Coordination), Ministry of Home Affairs [in-charge of Library] (Member) 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (Member) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director/ Deputy Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs (Chairman). 2. Director or Deputy Secretary (Coordination),	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 3 :- Departmental Assistant Library & Information Officer with nine years regular service in Level-7 in the Pay Matrix will also be considered along with outsiders and in case, he/she is selected, the post will be deemed to have been filled up by promotion.

Note 4 :- Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

Note 5 :-The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Ministry of Home Affairs
[in-charge of Library]
(Member)

3. Director or Deputy
Secretary, Ministry of
Home Affairs (Member)

[F. No. A-12018/02/2024-Ad.V]

(Vishvajeet Kumar Gupta)
Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, __ सितम्बर, 2026

सा.का.नि.____ - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय (पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 1997, गृह मंत्रालय (पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 तथा गृह मंत्रालय (पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (₹67,700-2,08,700)	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	संयुक्त पद्धति द्वारा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं, के अधिकारी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नौ वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों- अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा। (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में पाँच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय : (i) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठन अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय संबंधी कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का एक वर्ष का अनुभव।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (समन्वय), गृह मंत्रालय [पुस्तकालय के प्रभारी] - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(ii) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पण 1.- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2.- अनुभव संबंधी अर्हता(ओं) में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, ताकि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके। टिप्पण 3.- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नौ वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी पर भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन हो जाता है, तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। टिप्पण 4.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 5.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (समन्वय), गृह मंत्रालय [पुस्तकालय के प्रभारी] – सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य।	
--	---	--

[फा. सं. A-12018/02/2024-Ad.V]

(विश्वजीत कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार